न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—222/2018/225 (2018/00222)

1. रघुनाथ पुत्र स्व0 रूपा,
2. श्रीमती चम्पा पत्नी स्व0 रूपा,
3. महावीर दत्तक पुत्र श्योदान,
4. श्रीमती गुटका पत्नि श्योराम,
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम कटसूरा, तह0 अरांई, जिला अजमेर.

अपीलांटस

बनाम

1. रामलाल पुत्र धूकल,
2. रोडू पुत्र रामकरण,
3. बालू पुत्र राजू,
4. भवाना पुत्र गोविन्द,
5. हरदयाल पुत्र नन्दा,
6. सुगना पुत्र सूरजकरण,
7. नन्दा पुत्र चतरा,
8. छगना पुत्र सूरजा,
9. नारायण पुत्र भूरा,
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम कटसूरा, तह0 अरांई, जिला अजमेर।
10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

11. सायर पुत्री श्योदान पत्नी बसराज, जाति जाट, (गोदारा), निवासी ग्राम दादिया, तहसील अंराई, जिला अजमेर ।
12. काली पुत्री श्योदान पत्नि प्रहलाद, जाति जाट (खोखर), निवासी ग्राम दादिया, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 7.6.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 125/2017.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री करतारसिंह चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9.
3. श्री शुभकरणसिंह चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 11 व 12.

निर्णय

दिनांकः— 27.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 7.6. 2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—अ के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कटसूरा स्थित आराजी खसरा

नंबर 1663 रेस्पो0 संख्या 1 की सह–खातेदारी, खसरा नंबर 1664 श्रीमती दाखा पत्नी लादू व छोटी पत्नि नंदा की खातेदारी, खसरा नंबर 1665, 1666 व 1671 रेस्पो0 संख्या 2 की सह–खातेदारी, खसरा नंबर 1667 रेस्पो0 संख्या 3, खसरा नंबर 1677 रेस्पो0 संख्या 4 व रेस्पो0 संख्या 9 की सह–खातेदारी, खसरा नंबर 1662 रेस्पो0 संख्या 5 की सह–खातेदारी, खसरा नंबर 1672 रेस्पो0 संख्या 6 की सह–खातेदारी तथा खसरा नंबर 1675 व 1676 रेस्पो0 संख्या 8 की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात होकर उक्त आराजियात में रेस्पोडेंटस अपने सह–खातेदारान के साथ अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है । कृषि आराजी खसरा नंबर 1661 रकबा 7–12–00 भूमि अपीलांटस संख्या 1 से 4 के स्वामित्व व कब्जे काश्त की है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि रेस्पो0 की सह–खातेदारी की आराजियात पर आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता जो ग्राम कटसूरा से ग्राम दादिया जाने वाले सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता से होता हुआ ग्राम कटसूरा की आबादी में से होते हुए अपीलांटस की कृषि आराजी खसरा नंबर 1661 में होते हुए खसरा नंबर 1664 की पश्चिमी सीमा से होते हुए उक्त रास्ते का उपयोग रेस्पाडेंटस अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजियात पर आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता यही है जिससे होकर रेस्पो0 ट्रेक्टर, ट्राली, बेलगाडी आदि लाते– ले जाते रहे है किन्तु उक्त रास्ते को अपीलांटस ने डोल लगाकर बंद कर दिया है । अतः उक्त रास्ता कायम किया जावे । रेस्पो0 के उक्त कथनों के आधार पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर अपीलांटस/अप्रार्थीगण के नाम सम्मन दिनांक 22.5.2015 को जारी किये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.5.2015 नियत की गई । तत्पश्चात् दिनाक 26.7.2016 को अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 4.11.2016 को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलांटस की खातेदारी आराजियात में रास्ता स्वीकार करने के आदेश पारित कर दिये ।

3. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.11.2016 की जानकारी के आधार पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 सपठित धारा 151 मय मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–अ दर्ज कर जारी किये गये सम्मन पर किसी रघुवीर पुत्र रूपा नाम के व्यक्ति पर तामील करवाना अंकित किया गया है जबकि हमारे परिवार में रघुवीर पुत्र रूपा नाम का कोई व्यक्ति नही है । इसके उपरांत उक्त व्यक्ति को सम्मन तामील होना मानते हुए अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 4.11.2016 को अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किया जाकर अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के उपरांत अधी0न्याया0 ने उभयपक्षों की बहस समायत कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 सपठित धारा 151 को आदेश दिनांक 7.6.2018 को खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–अ में अंकित अभिवचनों से यह पूर्णतया स्वंय सिद्ध था कि

ग्राम कटसूरा स्थित आराजी खसरा नंबर 1662 लगायत 1667 एवं 1671 लगायत 1676 रेस्पो0 की सह–खातेदारी की सह–काश्तकारी की आराजियात होना स्वीकार कर अपीलांटस की आराजी खसरा नंबर 1661 रकबा 7–12–00 भूमि में से रास्ता पूर्व में होना तथा वर्तमान में डोल लगाकर बंद करने का कथन किया है । रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण ने अपने सह–खातेदार, सह–काश्तकारों को एवं आराजी खसरा नंबर 1661 के सह–खातेदारों को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किये बिना अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अपूर्ण होकर काबिल निरस्तनीय था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015 का पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का भली–भांति अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015 दिनांक 22.5.2015 को प्रस्तुत किया था जिसे अधी0न्याया0 ने दर्ज कर अपीलांटस के नाम सम्मन जारी करने के आदेश पारित करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.2.2015 नियत करने में त्रुटि कारित की है क्योकि इतने कम समय में किसी भी पक्षकार को सम्मन विधिवत् रूप से तामील ही नहीं करवाये जा सकते है । किसी रघुवीर पुत्र रूपा नाम के व्यक्ति को संपूर्ण अपीलांटस के नोटिस गैर कानूनी रूप से तामील कुनिन्दा से रेस्पो0 ने सांठ–गांठ कर तामील करवाई है । उक्त तामील रिपोर्ट प्रथमदृष्टया अवैधानिक थी । परीक्षण न्यायालय का यह दायित्व था कि पक्षकारों के हस्ताक्षर एवं राजस्व रिकार्ड में अपीलांटस के नाम जिस पर अंकित किये हुए है, उक्त व्यक्तियों एवं तथाकथित तामीलकर्ता रघुवीर पुत्र रूपा दोनों एक ही व्यक्ति हो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई इसके बावजूद तामील को विधिवत् तामील मानकर अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 ने तामील कुनिन्दा से सांठ–गांठ कर प्रार्थीगण की फर्जी तामील करवाकर एवं अपीलांटस की ओर से किसी अन्य व्यक्तियों से वकालतनामा पर हस्ताक्षकर करवा कर अभिभाषक श्री विजेन्द्रसिंह व अन्य वकील का वकालतनामा मूल पत्रावली संख्या 44/2015 में गैर कानूनी रूप से नत्थी करवा कर गैर कानूनी रूप से आदेश दिनांक 4.11. 2016 को पारित करवाया है जबकि अपीलांटस द्वारा कभी भी उक्त वकालतनामा पर हस्ताक्षर ही नही किये गये थे । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 का यह विधिक दायित्व था कि उक्त तथाकथित वकालतनामा पर किये गये हस्ताक्षर एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के संलग्न अभिभाषक पत्र पर अपीलांटस द्वारा किये गये हस्ताक्षरों का अपने स्तर पर परीक्षण करवाते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर अपने में निहित अधिकारिता का दुरूप्योग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा फर्जी वकालतनामा पेश करवाने के संबंध में रेस्पो0 के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 340 के तहत प्रकरण में विधिवत् जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध बाद अनुसंधान दण्डित करवाने हेतु अधी0न्याया0 को निर्देशित किया जावे । ग्राम कटसूरा स्थित आराजी खसरा नंबर 1661 रकबा 7–12–00 भूमि के अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0 श्रीमती सायर व काली सह–खातेदार काश्तकार होकर आज दिनांक संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है किन्तु रेस्पो0 ने राजस्व रिकार्ड में अंकित उक्त श्रीमती सायर व काली को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार संयोजित नहीं किया । अतः प्रफोर्मा रेस्पो0 को भी प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जावे । अतः अपील अपीलांटस

स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 7.6.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस रेस्पो0 संख्या 1 से 9 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । आराजी खसरा नंबर 1663 रेस्पो0 संख्या 1 की सह–खातेदारी, खसरा नंबर 1664 श्रीमती दाखा पत्नी लादू व छोटी पत्नि नंदा की खातेदारी, खसरा नंबर 1665, 1666 व 1671 रेस्पो0 संख्या 2 की सह–खातेदारी, खसरा नंबर 1667 रेस्पो0 संख्या 3, खसरा नंबर 1677 रेस्पो0 संख्या 4 व रेस्पो0 संख्या 9 की सह–खातेदारी, खसरा नंबर 1662 रेस्पो0 संख्या 5 की सह–खातेदारी, खसरा नंबर 1672 रेस्पो0 संख्या 6 की सह–खातेदारी तथा खसरा नंबर 1675 व 1676 रेस्पो0 संख्या 8 की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात होकर उक्त आराजियात में रेस्पोडेंटस अपने सह–खातेदारान के साथ अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पो0 की सह–खातेदारी की आराजियात पर आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता जो ग्राम कटसूरा से ग्राम दादिया जाने वाले सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता से होता हुआ ग्राम कटसूरा की आबादी में से होते हुए अपीलांटस की कृषि आराजी खसरा नंबर 1661 में होते हुए खसरा नंबर 1664 की पश्चिमी सीमा से होते हुए उक्त रास्ते का उपयोग रेस्पाडेंटस अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजियात पर आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता यही है जिससे होकर रेस्पो0 ट्रेक्टर, ट्राली, बेलगाडी आदि लाते– ले जाते रहे है किन्तु उक्त रास्ते को अपीलांटस ने डोल लगाकर बंद कर दिया है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में तामील के संबंध में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया था जिसमें अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अपीलांट रघुवीर पुत्र रूपा एवं रघुनाथ पुत्र रूपा एक ही व्यक्ति है जिसे अधी0न्याया0 द्वारा जारी सम्मन तामील हुए थे । अधी0न्याया0एवं हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांटस ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 अपनी खातेदारी की आराजियात पर आवागमन हेतु चाहे गये रास्ते का उपयोग न कर अन्य किसी रास्ते का उपयोग कर रहे हो । अधी0न्याया0 ने धारा 251–अ के प्रावधानानुसार रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन रहा है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–अ राज0काश्त0अधि0 1956 के तहत पेश कर स्वंय की सह–खातेदारी, काश्तकारी की आराजियात में अपीलांटस की आराजी खसरा संख्या 1661 में होते हुए खसरा नंबर 1664 की पश्चिमी सीमा से होते हुए रास्ता कायम किये जाने का अनुतोष चाहा है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर दिनांक 22.5.2015 को अप्रार्थीगण/अपीलांटस को सम्मन जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.5.2015 नियत की गई । किन्तु उक्त सम्मन किसी रघुवीर पुत्र रूपा नामक व्यक्ति पर तामील करवाना अंकित किया गया है तथा उक्त तामील को अधी0न्याया0 ने पूर्ण तामील मानते हुए दिनांक 4.11.2016 को अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित कर दिये । उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र

आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 मय मियाद प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा जारी सम्मन अपीलांटस को कभी भी तामील नहीं हुए थे तथा न ही रघुवीर पुत्र रूपा नाम का कोई व्यक्ति अपीलांटस के परिवार में है अतः अपीलांटस के विरूद्ध पारित एकतरफा आदेश को निरस्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 को आदेश दिनांक 7.6.2018 द्वारा निरस्त कर दिया जिससे अपीलांटस को अधी0न्याया0 के समक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो सका । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा जारी सम्मन अपीलांट रघुनाथ पुत्र रूपा को तामील हुए थे तथा रघुवीर व रघुनाथ पुत्र रूपा एक ही व्यक्ति है तथा गांव में उसे रघुवीर के नाम से ही जाना जाता है ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–अ राज0काश्त0अधि0 1956 प्रकरण संख्या 44/2015 के समस्त सम्मन किसी रघुवीर पुत्र रूपा नाम के व्यक्ति को तामील कराये गये थे । अधी0न्याया0 ने इस तामील को विधिवत् तामील मानकर अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि समस्त सम्मन/नोटिस एक ही व्यक्ति को तामील करवाये गये है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के अन्य सहखातेदार भी थे जिन्हें रेस्पो0/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जबकि वे आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार थे जिन्हें सुना जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.2018 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2018 निरस्त किया जाकर अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.11.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे विवादित भूमि के समस्त सह–खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नियुक्त कर अपीलांटस/अप्रार्थीगण को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर